

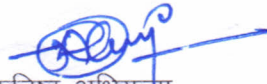
परियोजना का नाम :-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव

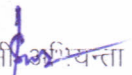
में सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण।

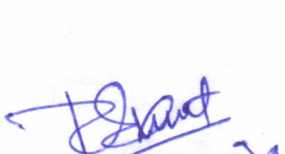
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि का विवरण

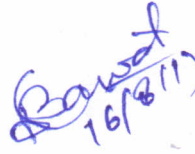
क्र० सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता सं०	भूमि का विवरण		
							खसरा नं०	कुल रक्वा (है०)	अर्जित रक्वा (है०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिविल सोयम									
	उत्तरकाशी	बडकोट	मुगरसन्ती	बडकोट	दारसौ		2693	2.136	2.136
							2924	2.502	2.502
							2681 मध्य	2.000	2.000
							2680 मध्य	1.692	1.692
योग								8.330	8.330


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


पटवारी / दारखो
श. अ. नि.


तहसीलदार
बडकोट


उपजिलाधिकारी
बडकोट (उत्तरकाशी)

(1)

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पेज- 8के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(लम्बाई किमी 8.400)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- **दारसौ खिविल सोयम**

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल - 8.330 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2000 पौध प्र० है०

मुगरसती राजि

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशी
	अग्रिम मृदा कार्य				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	प्र० है०	8.330	120	999.60
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र० है०	8.330	1578	13144.74
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी०	प्र० घ० मी०	699.72	256	179178.32
4.	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्र० गड्ढा	16660	7.00	116620.00
5.	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र० है०	8.330	485	4040.05
6.	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	प्र० पौध	16660	5.93	98793.38
7.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र औजार तेज करना	ल०स०	8.330	489	489.00
8.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण (10 है० को आधार मनाते हुये) परकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण)	प्र० है०	8.330	9150	76219.50
1.	प्रथम चरण योग-				489484.59
1.	गड्ढा भरान कार्य	प्र० गड्ढा	16660	1.26	20991.60
2.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्र० पौध	16660	1.05	17493.00
3.	पौधों ढुलान कार्य	प्र० पौध	16660	6.50	108290.00
4.	पौधरोपण व थालबन्दी	प्र० पौध	16660	2.74	45648.40
5.	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	प्र० पौध	16660	2.96	49313.60
6.	खाद व दवा पर व्यय	प्र० सै० पौध	16660	0.21	3498.60
7.	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्र० है०	8.330	6183	51504.39
8.	8.1 वृक्षा रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील	प्र० है०	8330	367	3057.11
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर चार मीटर चौड़ी पट्टी साफ करना	प्र० है०	8330	277	2307.41
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना-				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेन्टन आदि कार्य	प्र० है०	8330	1327	11053.91
	द्वितीय चरण योग -				320371.18
	तृतीय वर्ष अनुक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं	प्र० है०	8.330	367	3057.11

	ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०				
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	तृतीय चरण योग -				81250.82
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण में लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	तृतीय चरण योग -				81250.82
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों की प्रोत्साहन देना	प्र० है०			
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.32
	चतुर्थ चरण योग-				81250.82
	पंचम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8244	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्र० है०			
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	पंचम चरण योग-				81250.82

	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना-				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	षष्ठम चरण योग-				81250.82
	सप्तम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	289	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण के लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	सप्तम चरण योग-				81250.82
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	289	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	अष्टम चरण योग-				81250.82

	नवम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के घास फूस, एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	नवम चरण योग-				81250.82
	दशवां वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0 प्र	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.31
	दसवां चरण योग-				81250.82
	प्रथम चरण से दसवां चरण का योग-				1459862.33

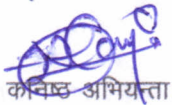
प्रमुख वन संरक्षक द्वारा खर्च देखाईत कर निर्धारित दर अनुसार- 19,18,416 = ० देय,

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दश वर्षीय आगणित कुल राशि- प्रति रु0 1459862.33

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल - 4.1650 है0

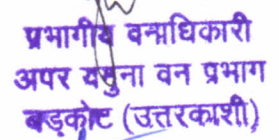
दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशी रु0 1459862.33

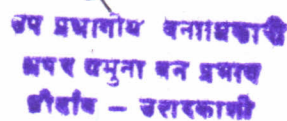
प्रमुख वन संरक्षक द्वारा खर्च देखाईत का ज्ञान- 596/3-5-2 दि० 19-8-2015 के अनुसार निर्धारित गति हेतु दर 2.30, 302 = ०० X 8.33 के अनुसार रु0 19,18,416 = ० देय ।


क. व. सिंग


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता


प्रभागीय वन अधिकारी
अपर वसुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)


उप प्रभागीय वन अधिकारी
अपर वसुना वन प्रभाग
जीर्वा - उत्तरकाशी